राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, राजस्थान, जयपुर

पशुधन भवन कैम्पस, लाल कोठी, जयपुर–302015

दूरभाष 0141–2740317 ई–मेल chairman.sawb@rajasthan.gov.in

द्वारा ई–मेल

क्रमांकः–एफ.वी. 19(1) रा.जी.ज.क.बोर्ड / PCA Act 1960 / 2022–23 / 405 दिनांकः 14/6/24

श्री जिनेन्द्र जैन, अध्यक्ष
राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद्
ए–7, टेलीफोन कॉलोनी, गली न. 3,
बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर (राज.)

विषयः–दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी होने के कारण भारवाहक पशुओं का दोपहर 12.00 बजे से 4.00 बजे के बीच उपयोग नहीं करने के संबंध में निर्देशित करवाने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 1148 / 2024 दिनांक 08.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रस्तुत मांग, दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी होने के कारण भारवाहक पशुओं का दोपहर 12.00 बजे से 4.00 बजे के बीच उपयोग नहीं करने के संबंध में राज्य जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. वी. 19(1) रा.जी.ज.क.बोर्ड / PCA Act 1960 / 2022–23 / 274 दिनांक 20.05.2024 द्वारा निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं। सुलभ संन्दर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. अजय कुमार वार्ष्णेय)
उपनिदेशक, रा.जी.ज.क.बोर्ड

RajKaj Ref
8067771

Signature valid

Digitally signed by Ajay Kumar Varshney
Designation : Deputy Director
Date: 2024.06.14 12:31:04 IST
Reason: Approved

राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, राजस्थान, जयपुर

पशुधन भवन कैम्पस, लाल कोठी, जयपुर–302015

दूरभाष 0141–2740317 ई–मेल chairman.sawb@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ.वी. 19(1) रा.जी.ज.क.बोर्ड / PCA Act 1960 / 2022–23 /274 दिनांकः 20/5/24

समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग,
एवं पदेन सचिव, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति,
राजस्थान।

विषयः–दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी होने के कारण भारवाहक पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रखने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जलवायु परिवर्तन के कारण राजस्थान राज्य में गर्मी की लहर के साथ तापमान में अचानक वृद्धि हुई है, जिसके कारण भारवाहक पशुओं यथा घोड़ों, गधों, खच्चरों, बैलों और भैंसों इत्यादि को धूप में काम में लेने से पड़ने वाले बुरे प्रभाव के कारण उन्हें अनावश्यक दर्द, हीट स्ट्रोक और मौत होने की संभावना रहती है।

उल्लेखनीय है कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अनुसार किसी जीव जन्तु की देखभाल करने वाले या उसे रखने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसे जीव जन्तु का कल्याण करने एवं ऐसे जीव जन्तु को अनावश्यक पीड़ा या यातना देने का विवरण करने के लिए सब युक्तियुक्त उपाय करेगा। इसी प्रकार परिवहन तथा कृषि पशुओं के प्रति क्रूरता–निवारण नियम, 1965 के नियम 6 के उपनियम 3 के अनुसार जिन क्षेत्रों मं तापमान 37^0 सेल्सियस से अधिक रहता हो वहां दोपहर को 12 बजे से 3 बजे के बीच पशु को न उपयोग में लेगा और न लेने देगा। अतः अत्यधिक गर्मी में दोपहर के समय भारवाहक पशुओं का उपयोग करना उक्त अधिनियम व नियम के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रशासन के सहयोग से कृपया दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी होने के कारण भारवाहक पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रखने तथा उन पशुओं के लिए पानी, भोजन व छाया की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के संबंध में सभी संबंधित को निर्देशित करवाने एवं व्यापक जनजागरुकता पैदा करने का श्रम करावें।

(डॉ. भवानी सिंह राठौड़)
निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. व
सदस्य सचिव, रा.जी.ज.क.बोर्ड

क्रमांकः–एफ.वी. 19(1) रा.जी.ज.क.बोर्ड / PCA Act 1960 / 2022–23 /275-282 दिनांकः 20/5/24

प्रतिलिपीः–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, वल्लभगढ, हरियाणा।
3. समस्त जिला कलेक्टर्स एवं अध्यक्ष, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति, राजस्थान को प्रेषित कर निवेदन है कि सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश प्रदान कराने का श्रम करावें।
4. शासन उपसचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. श्री मनीष सक्सेना, मान. सदस्य, राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. व
सदस्य सचिव, रा.जी.ज.क.बोर्ड

RajKaj Ref
7309720

Document certified by BHAWANI SINGH RATHORE <BSRATHORE64@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by BHAWANI SINGH RATHORE
Designation : Director
Date :20-05-2024 12:45:12

।।जैनम् जयति शासनम्।।

राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद्

सम्पर्क सूत्र: 7877735999, 9799691530

प्रतिष्ठा में
माननीय निदेशक महोदय जी,
निदेशालय पशुपालन विभाग एवं गोपालन विभाग
राजस्थान सरकार
जयपुर (राज०)

क्रमांक: 1148/2024

दिनांक 8/5/2024

विषय :- अत्यधिक गर्मी के समय भारवाहक पशुओं को दोपहर 12:00 बजे से 4:00 बजे के बीच भारवाहक कार्य हेतु उपयोग नहीं करने के लिए निर्देशित करने / करवाने के संदर्भ में विनम्र निवेदन ।

सम्मानीय महोदय / महोदया जी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन है की जीव दया ही अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय का मूल सिद्धान्त हैं ।जैन कुल में जन्म लेने से ही केवल जैन नही बना जा सकता है ।जैन बनने के लिए जैन धर्म के सिद्धान्तों को अपने आचरण में अपनाना भी आवश्यक होता है ।जीवदया का अर्थ प्राणी मात्र को तनिक भी कष्ट न पहुंचे, उनकी रक्षा - सुरक्षा हो और वे अभय बने रहे ।

राजस्थान राज्य में गर्मियों के मौसम में तापमान से सर्वाधिक होने के कारण हीट वेव (लू) को लेकर सम्पूर्ण राज्य में आमजन से अपने को हीटवेव के प्रभाव से बचाने को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है ।श्रमिकों के आराम के लिए छाया, साफ पानी,छाछ,आइस पैक एवं अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

पशु मूक होते है,बोल नही सकते वे अपने दु:ख दर्द,भूख प्यास, बीमारी और अनेक कष्टों को व्यक्त नही कर सकते है । अक्सर देखा जाता है भारवाहक पशु ऊंट,घोड़ा,खच्चर,पोनी,बैल,पाड़ा व गधा आदि को अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ पशु मालिकों द्वारा अत्यधिक तेज गर्मी में भी भार ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है ।इन पशुओं को अत्यधिक गर्मी के समय काम में लिए जाने के कारण उनके बीमार होने, लू लगने एवं तपाघात की सम्भावना बहुत बढ जाती है,जो की पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है ।

पशु क्रूरता की रोकथाम,पशु स्वास्थ्य का संरक्षण एवं पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए तथा पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण व दया की भावना एवं जागरूकता आवश्यकता को देखते हुए भारवाहक पशुओं को अत्यधिक गर्मी में भारवहन कार्य हेतु उपयोग में नहीं लेना चाहिए ।अगर किसी व्यक्ति द्वारा भारवाहक पशु प्रजातियों को दोपहर 12:00 बजे से 4:00 बजे के बीच भारवहन का उपयोग लेता हुआ पाया जाता है तो उस पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

उपरोक्त मांग पर गौर फरमाकर शीघ्र संज्ञान लेते हुए भारवाहक पशुओं को दोपहर 12:00 बजे से 4:00 बजे के बीच भारवाहक कार्य हेतु उपयोग नहीं करने के लिए निर्देशित करने / करवाने के लिए अपने स्तर पर उचित कार्यवाही कर / करवा कर अनुगृहित करने का श्रम फरमावे ।

सादर,

आपका स्नेहांकित

जिनेन्द्र जैन
अध्यक्ष

प्रान्तीय कार्यालय: ए-7, टेलीफोन कॉलोनी, गली नं. 3, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर (राज.)- 302015
ई-मेल : jinendrajain14319@gmail.com, bashok1@yahoo.com